# FORM No. III

APP-A
Crime-I

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

.................................................................... मुकाम ....................................................

.................................................... बनाम ....................................................

....................................................  ....................................................

.................................................... नं. .................................. सन् ..................................

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| 22.2.21 | |
| पत्रावली पेश। वजूहात उर्फ दावा प्रार्थना पत्र 251-A R.T.Act पेश हुई। पत्रावली बास्ते हेतु तिथि 5.4.21 को पेश हो। | |
| उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) | |
| 5.4.21 | |
| पत्रावली पेश। वजूहात उर्फ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 A स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |
| उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) | |

अ.लि. भंवरी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
## बइजलास श्री राजकेश मीना आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 181/2020

ण :–

भंवरी पत्नि स्व. नाराराम जाति जाट
श्री हनुमानराम पुत्र नाराराम जाति जाट निवासीगण धारणावास तहसील खींवसर जिला नागौर

***बनाम***

ंगण :–

श्री पुरखा उर्फ मदनराम पुत्र धुलाराम जाति जाट निवासी धारणावास तहसील खींवसर जिला नागौर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर
श्री महेन्द पुत्र स्वरूपराम जाति जाट निवासी धारणावास

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान
. वकील प्रार्थीगण :– श्री मूलसिंह राठौड़
२. वकील अप्रार्थीगण :– श्री अर्जुनराम चौधरी (अप्रार्थी संख्या 01)
श्री शिवराज भाटी (अप्रार्थी संख्या 03)

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आर.टी.एक्ट**

***आदेश***

दिनांक 25. .2021

प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ स्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार से है कि जा धारणावास के ख.न. 259 रकबा 07.14 बीघा प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का स्थित प्रार्थीगण के खेत के उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नबंर 257 रकबा 1103 बीघा गै.मु. ख.न. 285 रकबा 46.12 बीघा स्थित है प्रार्थीगण के इस खेत का कदीमी रास्ता ख.न. 257 पश्चिमी कोने से होकर खसरा नबंर 285 में से होकर कटाणी रास्ता तक चलता आ रहा है।

उक्त वर्षो से चलते आ रहे रास्ते को अप्रार्थी संख्या 01 ने गै.मु. मगरे पर अतिक्रमण करते ए प्रार्थीगण का रास्ता बंद कर दिया है। जिसे जिला कलक्टर महोदय द्वारा रास्ता खोलो अभियान क तहत खुलवाया गया था मगर अप्रार्थी संख्या 1 अब भी उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकिया दे हा है प्रार्थीगण एवं उसके परिवार के सदस्य इसी रास्ते से अपने वाहन एवं पशुधन आदि लाते ले जाते रहे। तथा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए सबसे सरल एवं सुगम व निकटतम रास्ता यही है एवं प्रार्थीगण को इस रास्ते रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है प्रार्थीगण के इस रास्ते के उक्त विवाद को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नये प्रावधानों के तहत राजस्व रेकर्ड में रास्ता इन्द्राज करवाने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ख.न. 259 रकबा 07.14 बीघा में आने जाने हेतु नबंर 257 रकबा 11.03 बीघा की पश्चिमी कोने में से होते हुए ख.न. 285 गै.मु. मगरा में से नक्शे के मार्क ए से बी अनुसार 20 फुट चौड़ा रास्ते के रूप में रास्ता घोषित फरमावें। एवं रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें एवं अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि में प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रार्थीगण का उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ दर्ज दजिस्टर किया जाकर गण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता ाम चौधरी ने अप्रार्थी संख्या 1 कि तरफ से वकालातनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 02 टिस बाद तामिल प्राप्त, बावजूद इतला के गैरहाजिर रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय ाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई प्रार्थी श्री महेन्द पुत्र स्वरूपराम जाति जाट निवासी वास ने जरिये अधिवक्ता आवेदन अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 ी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की भंवरी देवी के खेत के पूर्वी तरफ मुझ प्रार्थी का खेत झ प्रार्थी के आने जाने का रास्ता भंवरीदेवी के खेत में से है। मुझ प्रार्थी को भी रास्ते की ाक आवश्यकता है। प्रकरणों की अधिकता से बचने के लिए मुझ प्रार्थी को विचाराधीन प्रकरण कार बनाया जाकर मुझ प्रार्थी को रास्ता दिलवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा आवेदन अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित धारा सीपीसी पर No objection करने पर उक्त आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी श्री महेन्द को अप्रार्थी 03 पर पक्षकार बनाया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ने जरिये विधान अधिवक्ता के द्वारा जबाब में प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र सिरे से खारिज करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा आवेदन अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सी का जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर एवं अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा मूल प्रार्थना पत्र आदेश र्गत धारा 51 अ आरटीएक्ट का जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर इनका जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया ।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार खींवसर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार खींवसर ने । में पत्रांक/कमांक/भू.अ./251 अ/2020/1888 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा मौका रिपोर्ट त कर निवेदन किया की खसरा नबंर 259 रकबा 07.14 बीघा की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत ख.न. 257, 285 में से रास्ता चाहा गया है। चाहे गए रास्ता ाक रूप से विधमान है उक्त रास्ता पूर्व में 251 आरटीएक्ट के तहत खुलवाया गया था जो आज ांक मौके पर खुला है। चाहा गया रास्ता की लम्बाई 818.4 व चौड़ाई 20 फुट है तथा मौके पर ता चल रहा है मगर प्रार्थी सीधा रास्ता चाहाता है। प्रश्नगत रास्ते में कोई अवरोध नहीं है गत रास्ता ही निकटतम एवं सरल, सुगम है प्रार्थी को उक्त रास्ते की नितांत आवश्यकता है।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बहस समायत की गई जिसमें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं ार्थी संख्या 03 ने अपनी बहस में प्रा.पत्र के मूख्या बिन्दुओं को दोहारते हुए कथन किया की मौजा रणावास के ख.न. 259 रकबा 07.14 बीघा हमारी खातेदारी एवं कब्जा काश्त का स्थित है ।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

हमारे खेत के उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा नबंर 257 रकबा 1103 बीघा व .न. 285 रकबा 46.12 बीघा स्थित है प्रार्थीगण के इस खेत का कदीमी रास्ता ख.न. 257 के कोने से होकर खसरा नबंर 285 में से होकर कटाणी रास्ता तक चलता आ रहा है।

उक्त वर्षो से चलते आ रहे रास्ते को अप्रार्थी संख्या 01 ने गै.मु. मगरे पर अतिक्रमण करते र्थीगण का रास्ता बंद कर दिया है। हमें अपने खेत में आने जाने के लिए सबसे सरल एवं व निकटतम रास्ता यही है एवं प्रार्थीगण को इस रास्ते रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है ण के इस रास्ते के उक्त विवाद को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए राजस्थान ारी अधिनियम के नये प्रावधानों के तहत राजस्व रेकर्ड में रास्ता इन्द्राज करवाने का श्रम

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के कथनों में निवेदन किया की की प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र सरासर गलत प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अपने खेतों में जाने हेतु अन्य रास्ता होने के बावजूद भी अन्य रास्ते की मांग करना नियम के विरूद्व है। खेत ख.न. 257 एवं 285 स्थित है मगर प्रार्थी के खेत ख.न. 257 के पश्चिम धोरे से कोई ी रास्ता नहीं चलता है प्रार्थीगण का रास्ता पहले ख.न. 259 के पूर्वी सींव से होकर चलता था मान में भी ख.न. 285 सरकार भूमि में से होकर चलता है।

प्रार्थीगण के खेत ख.न. 259 रकबा 7.14 बीघा के लिए सरकारी भूमि ख.न. 285 में से चलने रास्ते में से होकर प्रार्थी के पश्चिम से चलने वाले ग्रेवल सड़क की दूरी सबसे कम है व न में प्रार्थी के आने जाने के लिए अपनी भूमि की सींव लगती सरकारी भूमि में से होकर चलने रास्ते से होकर प्रार्थीगण के पश्चिम से चलने वाली ग्रेवल सड़क से होकर जो सबसे कम दूरी सबसे अधिक उपयुक्त है जो बाधित नहीं है चालू है तो फिर अन्य रास्ता कैसे दिया जा सकता

श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत व आधारहीन विधि विरूद्व गलत धारा व तथ्यों का सारहीन प्रार्थना पत्र किया जो खारीज होने योग्य है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अपनी बहस में जबाब प्रार्थना के मूख्या बिन्दूओं दोहारते हुए कथन किया की प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु जब वैकल्पिक रास्ता मौजुद है के बावजूद भी अन्य रास्ते की मांग करना, जो गलत है प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता ी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा गलत व आधारहीन विधि विरूद्व न धारा व गलत तथ्यों का सारहीन प्रार्थना पत्र किया जो खारीज होने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 अ में उल्लेखित रास्ता दिया जाने को दोनो बिन्दूओं देखा जाना आवश्यक है की :–

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

दौराने बहस प्रार्थीगण ने दावा किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते उसके द्वारा चाहा गया रास्ता की हमें आंत्यतिक आवश्यकता है। हस्तगत पत्रावली में प्रस्तुत ावेजात एवं तहसीलदार खींवसर से प्राप्त रिपोर्ट से भी यह ताईद होता है की प्रार्थीगण द्वारा ा गया रास्ता की प्रार्थीगण को नितांत आवश्यकता है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थीगण ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि खेताय तक पहुँचनें के लिये उसके पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। तहसीलदार खींवसर मौका रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण को अपने खेताय में के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो रेकर्ड एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं दस्तावेजात से भी साबित होता है ।

प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये, प्रश्नगत रास्ता का सरल, सुगम, म होना है, जो तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से साबित होता है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं दार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है र्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से यह भी ताईद होता है र्तमान में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रश्नगत रास्ता ही सरल, सुगम, निकटतम है कम से कम रकबा प्रभावित हो रहा है प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 259 में आने जाने हेतु ं संख्या 1 व 2 के प्राथीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ख.न. 259 रकबा 07.14 में आने जाने हेतु खसरा नबंर 257 रकबा 11.03 बीघा की पश्चिमी कोने में से होते हुए ख.न. गै.मु. मगरा में से नजरी नक्शे के मार्क ए से बी अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ते के साथ ही ी संख्या 03 को अपने खेतों में आने जाने हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा नबंर 259 में से खेत ा नबंर 573/259 तक 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित के साथ ही इसी रास्ते को आगे बढाकर ी संख्या 03 के खातेदारी खेत खसरा नबंर 573/259 तक रास्ते के रूप में घोषित किया चित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या ो उक्त रास्ते की नितांन्त आवश्यकता है प्रश्नगत रास्ता सरल, सुगम, निकटतम एवं कम से रकबा प्रभावित होने वाला रास्ता है और यही अन्तर्गत धारा 251 अ की मशां है ऐसी स्थिति में गण का उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 251 अ स्वीकार करने योग्य होने की वजह से स्वीकार ा जाता है।

अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

## *आदेश*

अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 03 को अपने खेतों में आने जाने के लिए प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नबंर 259 में आने जाने लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ! के खेत ख.न. 257, 285 में से दक्षिणी सींव होकर एवं अप्रार्थी संख्या 03 को अपने खेत ख.न. ।/259 तक 15 फुट चौड़ा घोषित किया जाता है, अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नबंर 257 रकबा 03 बिस्वांशी की डीएलसी दर से तीन गुना राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 1 भुगतान की जानी है तथा ख.न. 285 का रकबा 18 बिश्वा 13 बिश्वांसी रकबा प्रभावित होता है ।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

जो सरकारी रकबा है इसकी डीएलसी दर से चार गुना की 1/2 – 1/2 राशि प्रार्थीगण र्थी संख्या 03 से वसुल कर राशि राजकोष में जमा करवानी है तथा प्रार्थीगण के खसरा 59 से अप्रार्थी संख्या 03 तक 15 फुट रास्ता घोषित, में प्रभावित होने वाले रकबे की राशि संख्सा 03 से डीएलसी दर से तीन गुना राशि प्राप्त कर प्रार्थीगण को भुगतान करवाई जानी श्चात उक्त आदेश की पालना की जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर ार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते है। उक्त र किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता ी सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

परोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। कारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त आदेष आज दिनांक : 5-4.21 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)